

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

संचालनालय, २५, धर्मपुरा, मध्य प्रदेश, कालापीठ, बीबीनगर पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

सूचना

भोपाल, दिनांक:- २५/०४/२०२२

क्रमांक 1793 /टीसी/73/उमरिया(शहडोल)/उपां/नग्रानि/20211 भोपाल, - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि, संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट उमरिया विकास योजना, 2021 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्रं	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ग्राम खलेसर	334/1/1	0.0810	कृषि	आवासीय
2	तहसील	334/680/1	0.0290	कृषि	आवासीय
3	बांधवगढ	334/2	0.2830	कृषि	आवासीय
4	जिला	334/680/2	0.0280	कृषि	आवासीय
5	शहडोल	317/2	0.1450	कृषि	आवासीय
6		318/2	0.1700	कृषि	आवासीय
7		345	0.3320	कृषि	आवासीय
8		347	0.2060	कृषि	आवासीय
9		348	0.2020	कृषि	आवासीय
10		348/684	0.0320	कृषि	आवासीय
11		336	0.5710	कृषि	आवासीय
12		336/682	0.0650	कृषि	आवासीय
13		346/2	0.1740	कृषि	आवासीय
14		316/2	0.1840	कृषि	आवासीय
15		341/1	0.2860	कृषि	आवासीय
16		316/1	0.1840	कृषि	आवासीय
17		338	0.2140	कृषि	आवासीय
18		351/1	0.2050	कृषि	आवासीय
19		351/2	0.2040	कृषि	आवासीय
20		352/1	0.1230	कृषि	आवासीय
21		352/2	0.2050	कृषि	आवासीय
22		319/1/3/1	0.0300	कृषि	आवासीय
23		321/1/2	0.4050	कृषि	आवासीय
24		340	0.6440	कृषि	आवासीय
25		341/2	0.2850	कृषि	आवासीय
26		337/1/2	0.2020	कृषि	आवासीय

1.	2.	3.	4.	5.	6.
27	ग्राम खलेसर	353/2	0.2020	कृषि	आवासीय
28	तहसील	317/1	0.1460	कृषि	आवासीय
29	बांधवगढ़	318/1	0.1700	कृषि	आवासीय
30	जिला	353/1	0.2030	कृषि	आवासीय
31	शहडोल	339	0.1620	कृषि	आवासीय
32		337/1/1/1	0.0520	कृषि	आवासीय
33		337/683/1	0.0070	कृषि	आवासीय
34		337/683/3	0.0070	कृषि	आवासीय
35		337/1/1/4	0.0510	कृषि	आवासीय
36		337/683/4	0.0070	कृषि	आवासीय
37		337/1/1/2	0.0510	कृषि	आवासीय
38		337/683/2	0.0080	कृषि	आवासीय
39		337/1/1/3	0.0510	कृषि	आवासीय
40		337/1/1/5	0.0510	कृषि	आवासीय
41		337/683/5	0.0070	कृषि	आवासीय
		योग	कुल रकबा 6.664		
			हेक्टेयर		

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय शहडोल तथा वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, शहडोल को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर विचार किया जाएगा।


(मुकेश चंद्र गुप्ता)

वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

 म.प्र. भोपाल